



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2002/माघ 10, 1923

No. 11]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2002/MAGHA 10, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2002

सं. 303/3/2002-टी आर ए आई (इवॉर्न) — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा, स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि भारत के भीतर और भारत के बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन करके, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

दूरसंचार टैरिफ (अट्टारहवां संशोधन) आदेश, 2002

(2002 का क्रमांक 2)

भाग I

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

- (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (अट्टारहवां संशोधन) आदेश, 2002 कहा जाएगा।"
- (ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग II

अनुसूची II सेलूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सी एम टी एस) में, वर्तमान खंड "14 ए (रोमिंग)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, याने :-

"14. ए. क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रोमिंग "

मद	टैरिफ
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	प्रविरिति /निरपेक्षता (फोरबियरेंस)
प्रवेश शुल्क (एककालिक प्रभार)	शून्य
क्षेत्रीय और /या राष्ट्रीय रोमिंग के लिए मासिक एक्सेस प्रभार (चार्ज)	रु0 100.00 अधिकतम
एयरटाईम चार्ज	रु0 3.00 प्रति मिनट अधिकतम
पी एस टी एन चार्ज	फिक्स्ड (स्थिर) नेटवर्क पर, यथा समय लागू के समान
अधिभार (सरचार्ज)	एयरटाईम घटक (कंपोनेंट) का 15 प्रतिशत अधिकतम

14. एए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग : प्रविरिति (फोरबियरेंस)

14. एएए रोमिंग संबंधित अन्य मामले : प्रविरिति (फोरबियरेंस).

इस भाग में दिए गए टैरिफ 1 मार्च 2002 से लागू होंगे ।

भाग III

इस आदेश के अनुलग्नक 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है ।

आदेश से,

डा. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/142/01]

अनुलग्नक 'क'व्याख्यात्मक ज्ञापनI प्रस्तावना

(1) दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ) 1999 में, रोमिंग सहित समस्त मूल्यवर्धित सेवाओं और सभी पूरक दूरसंचार सेवाओं के बारे में प्रविरिति या निरपेक्षता रखी गयी है। प्राधिकरण को हाल में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रोमिंग की सुविधा के लिए, सेवा प्रदाताओं द्वारा, बहुत अधिक प्रभार वसूला जा रहा है। प्राधिकरण से रोमिंग के टैरिफ को सुप्रवाही बनाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण ने रोमिंग टैरिफ के सभी पहलुओं पर विचार किया है और, उपभोक्ताओं के हित में, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय रोमिंग के टैरिफों को विनियमित करने का निर्णय लिया है। तथापि, यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के विद्यमान ढांचे को नहीं बदलता है।

II वर्तमान प्रभारण (चार्जिंग)

(2) विभिन्न सेलूलर मोबाइल प्रचालकों याने आपरेटरों द्वारा लगाए जा रहे रोमिंग प्रभारों की, टी आर ए आई याने ट्राई ने जांच-पड़ताल की। सामान्यतया, रोमिंग में दो तरह के खर्च या प्रभार आते हैं : सुविधा पाने के निमित्त एक निश्चित या नियत प्रभार और उपयोग के अनुसार बदलते रहने वाले परिवर्तनशील प्रभार। सेवा प्रदाताओं के निमित्त, रोमिंग के लिए, मासिक नियत एक्सेस चार्ज, आपरेटरों में 0 रु0 से 400.00 रु0 तक देखा गया है। केवल एक प्रचालक या आपरेटर 400/- रु0 प्रति माह का प्रभार लगाता है। शेष की राशि आमतौर पर 100/- रु0 से 150/- रु0 प्रति माह के बीच है। सेवा प्रदाताओं से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय याने नेशनल आटोमेटिक रोमिंग के लिए, एयरटाईम चार्ज 60 सेकंड पल्स पर, 10/-रु0 प्रति मिनट है। इसके अलावा, उपभोक्ता को लागू पी एस टी एन चार्ज,

और साथ में कॉल की कुल बिल राशि (एयरटाईम जमा लागू पी एस टी एन चार्जों) का 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अधिभार (सरचार्ज) भी देना होता है। कुछ मामलों में, केवल एयरटाईम पर ही, न कि लागू पी एस टी एन चार्जों पर, अधिभार लगाया जाता है।

(3) इस तरह रोमिंग के लिए प्रभार या चार्ज के विभिन्न घटक, मोटे तौर पर, निम्नलिखित हो सकते हैं:—

- (क) वापसीयोग्य प्रतिभूति जमा
- (ख) रोमिंग सुविधा के लिए नियत एककालिक प्रभार
- (ग) रोमिंग के लिए मासिक एक्सेस प्रभार
- (घ) एयरटाईम प्रभार
- (ङ) लागू पी एस टी एन प्रभार ; और
- (च) बिल की कुल राशि पर अधिभार

III रोमिंग प्रभारों का विश्लेषण

(4) नेशनल आटोमेटिक रोमिंग के लिए एयरटाईम चार्ज (10/ –रु0 प्रति मिनट) और, विभिन्न टैरिफ योजनाओं के एयरटाईम के अधिकतम चार्ज की तुलना से यह पता चलता है कि, सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने अपने उपभोक्ताओं पर लगाए गए एयरटाईम प्रभारों या चार्जों की तुलना में रोमिंग प्रभार, काफी अधिक होते हैं। उपभोक्ताओं के घरेलू नेटवर्क पर लागू एयरटाईम दरें तो पिछले कुछ महीनों से कम होती रही हैं, पर रोमिंग प्रभार 10/ –रु0 प्रति मिनट पर स्थिर है। इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने महसूस किया कि रोमिंग की व्यवस्था के निमित्त वर्धमान (इन्फ्रीमेंटल) लागतों की जांच जरूरी है। तब उसने सेलूलर आपरेटर एसोसिएशन आफ इंडिया (COAI) से, इस काम के लिए आवश्यक आंकड़े देने का अनुरोध किया।

(5) सी ओ ए आई के माध्यम से, सेलूलर मोबाइल आपरेटरों द्वारा दिए गए विभिन्न पूंजीगत और प्रचालन लागतों के घटकों पर प्राधिकरण ने विचार किया। कुल मिलाकर, सी ओ ए आई ने आठ सेलूलर मोबाइल आपरेटरों के आंकड़े दिए। उनमें से दो महानगरों या मेट्रो से थे। टैरिफों के प्राक्कलन के लिए, सूचना सामग्री काफी न होने की वजह से, एक मेट्रो आपरेटर और तीन सर्किल आपरेटरों के आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया। पहले की तरह के रीतिविधान को अपनाते हुए, मासिक किरायों के लिए पूंजीगत लागतों को, और प्रतिमिनट एयरटाइम चार्ज या प्रभार के लिए, प्रचालन लागतों को आधार बनाया गया।

(6) राष्ट्रीय या नेशनल रोमिंग पर लागू टैरिफ प्रणाली पर निर्णय देने के लिए, प्राधिकरण ने केवल उन अतिरिक्त या वर्धमान लागतों को हिसाब में लिया जो सीधे सीधे रोमिंग सुविधा की व्यवस्था या प्रबंध से जुड़ी थीं। सी ओ ए आई द्वारा जो भी स्थिर या नियत लागतें सामने रखी गई, उन सबको रोमिंग के मासिक किराये के निर्धारण के लिए लागत-आधार में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ, प्राधिकरण ने, विभिन्न आपरेटरों के सिगनलिंग लिंक, जो 'बी एस एन एल' के साथ होते हैं ओर समान होते हैं तथा जिनके लिए, 'बी एस एन एल' प्रति रोमिंग उपभोक्ता 25/-रु0 लेता है, को लागत आधार के ध्यान में रखा है।

IV किराये और एयरटाइम के लिए बेंचमार्क प्रभारों का प्राक्कलन

(7) मासिक किराये के प्राक्कलन के लिए, पूंजीगत लागत में वार्षिक आवर्ती व्यय (ARE) का 22 प्रतिशत लागू किया गया है। नेशनल रोमिंग के मासिक किराये के आकलन के लिए, उपरोक्त में, बी एस एन एल द्वारा प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता 25/-रु0 लगाया गया सिगनलिंग चार्ज, और 10 प्रतिशत राजस्व हिस्सा लाइसेंस फीस को जोड़ा गया है।

(8) प्रतिदर्श या सेंपल से लागत आधारित माध्य या मीडियन मासिक किराया 38.00 रु0 आकलित होता है। औसतन विद्यमान एयरटाइम प्रति मिनट और, रोमिंग के लिए

वर्धमान 'ओपेक्स' (OPEX) लागत याने प्रचालन संबंधी लागत को जोड़ने पर, रोमिंग के निमित्त एयरटाईम चार्ज 3/ – ₹0 प्रति मिनट से कुछ कम ही बैठता है। प्राधिकरण के विचार से, इस तरह आकलित रोमिंग एयरटाईम चार्ज, इस समय सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध प्रभारों (चार्जेज) और लागत आंकड़ों पर आधारित हैं तथा यह एक मूल्यवर्धित (वैल्यूएडेड) सेवा है। तथापि, उपलब्ध लागत आंकड़े सीमित ही हैं। इसलिए, यद्यपि प्राधिकरण ने रोमिंग के वर्तमान प्रभारों को कम करने का निर्णय लिया है, उसने किरायों के लागत आधारित प्राक्कलनों में कुछ शिथिलता बरती है, 'मार्जिन' छोड़ा है और टैरिफों को अधिकतम (सीलिंग) की तरह विनिर्दिष्ट किया है। प्राधिकरण ने, मासिक किराया 100/ – ₹0 पर अधिकतम, रोमिंग एयरटाईम चार्ज 3/ – ₹0 प्रति मिनट पर अधिकतम, और (केवल एयरटाईम पर) अधिकतम अधिभार (सरचार्ज) 15 प्रतिशत पर, विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है।

(9) प्राधिकरण की राय में, रोमिंग के लिए कोई नियत एककालिक एक्सेस फीस (fixed one-time access fee) नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित लागतें, लागू टैरिफों से वसूल हो जाएंगी और कवर हो जाएंगी। तथापि, रोमिंग के लिए वापसीयोग्य प्रतिभूति जमा अभी भी प्रविरिति या निरपेक्षता (फोरबियरेंस) पर रहेगी और दूरसंचार टैरिफ आदेश (TTO) 1999 में विनिर्धारित, प्रतिभूति जमा पर व्यापक विनियम के अधीन रहेगी।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2002

No. 303/3/2002-TRAI(Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of the Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication services within India and outside India shall be provided :

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (EIGHTEENTH AMENDMENT) ORDER, 2002 (2 of 2002)

Section I

1. Short title, extent and commencement:

(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Eighteenth Amendment) Order, 2002".

- (ii) This Order shall come into force with effect from the date of notification in the Official Gazette.

Section II

Under Schedule II Cellular Mobile Telecom Service (CMTS) for the existing clause "14.a (Roaming)" the following shall be substituted, namely.-

"14.a Regional and National Roaming:-

Item	Tariff
Refundable Security Deposit	Forbearance
Entry Fee (One time charge)	Nil
Monthly Access Charge for Regional and/or National Roaming	Rs.100.00 as ceiling
Airtime charge	Rs.3.00 per minute as ceiling
PSTN charge	As applicable from time to time to the fixed network
Surcharge	15% as ceiling on airtime component.

14.aa International Roaming : Forbearance

14.aaa Other matters related to Roaming : Forbearance."

The tariffs under this Section shall be effective from 1st March 2002.

Section III

This Order contains at Annex A an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order,
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor

[No. ADVT-III/IV/Exty./142/01]

Annex A**EXPLANATORY MEMORANDUM****I. Introduction**

- 1) In the Telecommunication Tariff Order (TTO), 1999, tariffs for all supplementary telecommunication services and value added services including roaming are subject to forbearance. The Authority has received complaints in respect of high tariffs charged by service providers for provision of roaming and Authority's intervention has been sought in streamlining tariffs for roaming. The Authority has considered all aspects of roaming tariffs and has decided, in consumer interest, to regulate the tariffs for national/regional roaming. This amendment, however, does not change the existing regime for international roaming.

II. Current Charging

- 2) TRAI examined the roaming charges levied by various cellular mobile operators. In general, roaming attracts two charges; a fixed charge for access to the facility and variable charges that depend on usage. The monthly fixed access charge for roaming for service providers varies between Rs. 0.00 to Rs. 400.00 across operators. Only one operator levies a charge of Rs. 400.00 per month, while others are generally in the range of Rs. 100.00 to Rs. 150.00 per month. Data from service providers shows that airtime charge for national automatic roaming is Rs. 10.00 per minute on a 60 seconds pulse. In addition, the subscriber is also required to pay the applicable PSTN charge and a surcharge ranging between 10% and 15% on total billed amount for the call (airtime plus applicable PSTN charges). In certain cases, the surcharge is levied only on airtime and not the applicable PSTN charges.
- 3) Thus the various elements of charge for roaming can be summarised as follows:
 - a) Refundable security Deposit

0

- b) Fixed one time charges for the roaming facility
- c) Monthly access charges for roaming
- d) Airtime charge
- e) Applicable PSTN charges; and
- f) Surcharge on the billed amount

III. Analysis of Roaming Charges

- 4) A comparison of the airtime charge for national automatic roaming (Rs.10.00 per minute) and the peak charge for airtime across various tariff plans shows that roaming charges are considerably higher than airtime charges levied by service providers on their own subscribers. While airtime rates applicable in the subscribers home network have been declining over the last few months, roaming charges have remained at Rs.10 per minute. In this context, the Authority felt it justifiable to examine the incremental costs for provision of roaming and sought relevant data from the Cellular Operators Association of India (COAI).
- 5) The Authority has taken into consideration the various capital and operational cost elements provided by cellular mobile operators through COAI. In all, COAI submitted data for eight operators of which two were from metros. For the estimation of tariffs, due to incompleteness of the information given, data for one metro operator and three circle operators has been used. In tune with the methodology followed in the past, capital costs have been used to derive monthly rentals and operating costs have been used to derive airtime charge per minute.
- 6) In deciding on the tariff regime applicable for national roaming, the Authority considered only the additional or incremental costs associated with provision of the roaming facility. All the fixed costs submitted by COAI have been considered in the cost base for determining monthly rental for roaming. In addition, the Authority has taken into account the signalling links which the various operators share with BSNL and for which BSNL charges Rs.25.00 per roaming subscriber.

IV. Estimation of Bench Mark charges for Rental and Airtime

- 7) For estimation of monthly rental, 22% Annual Recurring Expenditure (ARE) has been applied to the capital cost. To this figure, signalling charge levied by BSNL of Rs. 25.00 per subscriber per month and revenue share license fee of 10% has been added to derive the monthly rental of national roaming.
- 8) The median cost based monthly rental is estimated from the sample as Rs.38.00. Taking account of an average prevailing airtime per minute and adding the incremental OPEX cost for roaming, we obtain an airtime charge for roaming at somewhat less than Rs. 3.00 per minute. The Authority considered that the roaming airtime charges arrived at are based on charges and cost data currently available from the service providers and that it is a value added service. The cost data available has, however, been limited. Therefore, while the Authority decided to reduce the prevailing charges for roaming, it has permitted some margin in the cost based estimates of rental, and has specified the tariffs as ceilings. The Authority has decided to specify a ceiling monthly rental of Rs.100.00, a ceiling roaming airtime charge at Rs.3.00 per minute and a ceiling surcharge (only on airtime) at 15%.
- 9) The Authority is of the view that there should be no fixed one-time access fee for roaming, since the relevant costs would be covered by the applicable tariffs. The refundable security deposit for roaming, however, continues to be under forbearance and shall be subject to the general regulation on security deposits prescribed in the Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999.